

11/06/24

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बेगूँ, जिला चित्तौडगढ (राज.)

क्रमांक/भू.अ./पत्थरगढी/2024/1986

दिनांक 07.06.2024

प्रेषित,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
तहसील बेगूँ

विषय - पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।


प्रसंग - श्रीमान के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/2024/63 दिनांक 14.05.2024 कि पालना
में

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि उक्त प्रांसगिक आदेश की पालना मे मौजा
चेची पटवार मण्डल चेची के आ.न.1010, 1012/1 ,1055 ,1056, 1058/1 ,1059/1
,1075/1 ,1076/1 ,1289/1,1290/1,671/1,979,985 कित्ता 13 कुल रकबा 1.862 है.
भूमि की पत्थरगढी वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिती दिनांक 05.06.2024 को
भू.अभिलेख निरीक्षक चेची द्वारा कि गई।

अतः पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है।

सलग्न- 1 रिपोर्ट भू.अभि.निरीक्षक,मय पर्चा मौका


तहसीलदार(भू.अ)

तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ, जिला चित्तौडगढ

पालना रिपोर्ट निं भू० आ० चेची तहसील बेगूं

प्रेषिति श्रीमान तहसीलदार महोदय
बेगूं

विषय - पत्थर गद्दी की पालना काबत ।

प्रसंग - श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय बेगूं के आदेश क्र। सरिता ।
2024/63 दिनांक 14.05.2024 व श्रीमान तहसीलदार महोदय
बेगूं के आदेश क्रमांक । भू.अ. / 2024/1678 दिनांक 24.05.24

C.R.
6/1/2024
श्री
6/1/2024

विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि

पत्र में मौजा चेची की आ.न. 1010, 1012, 1055, 1056, 1058, 1059,
1075, 1076, 1289, 1290, 671, 979, 985 किला 13 रकबा 1-862
हैन्टे भूमि की पत्थरगद्दी करने के आदेश दिये गए। साथ ही द्वारा उपर
लेकर बताया वक्त भूमि पुश्तेनी लेकर आपसी बंटवारा। विभाजन से
उनके हिस्से में दर्ज रेकार्ड हैं। इन आराजी से लगती भूमि उनके
भाई श्री शंभूलाल पिं नन्दा धाकड के साथ उनका सीमा विवाद है
अतः दोनों की आराजी के मध्य सीमांकन कर पत्थरगद्दी की जावे
जिनमें उनके भाई की सहमती है अतः मौजे पर दिनांक 05.06.24
को उपरलियत हो पत्थर हल्का चेची के साथ उपरोक्त वर्धित आराज
का सीमांकन कर पत्थर कायम करवाये गए। मौजा पर्चा बनाया
जाकर उपर के हस्ताक्षर करवाये गए।

अतः पालना रिपोर्ट वैरा है।

संलग्न -
(1) मौजा पर्चा]
(2) सूचना पत्र]

गो।
नि. भू. अ. चे. न.

मौजा पर्चा ग्राम - चेची तहसील - बेगूर

दि. 05.06.2024

धीमान सहायक क्लर्क महोदय बेगूर के आदेश क्रमांक / सशिता / 2024 / 63 दिनांक 14.5.2024 व धीमान तहसीलदार महोदय बेगूर के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 1678 दिनांक 24.05.24 की पालना में मौजा चेची के आ.न. 1010, 1012, 1055, 1056, 1058, 1059, 1075, 1076, 1289, 1290, 671, 979, 981 कित्ता-13 रकबा 1-862 है कि पत्थरगती प्राची व विपक्षीगण की उपस्थिति में करने के आदेश दिये गए हैं। प्राची द्वारा उपस्थित होकर बताया कि उक्त आराजी हमारी पुश्तैनी है व बंटवारा होकर उन्हें उनके हिस्से में दर्ज है तथा उनके भाई श्री ^{शंभूलाल} ~~उन्नीलाल~~ पि. नन्दा चाफड के व उनके मौके पर सीमा विवाद है। अतः उनके व उनके भाई कि आराजी में सीमाविवाद का सीमांकन किया जाने जिले में उनकी उनके भाई की भी सहमती है अन्य पड़ोसियों के मध्य सीमाविवाद नहीं है। अतः दोनों भाइयों को सूचित कर आज दिनांक को पत्थरी हल्का चेची के साथ मौके पर उपस्थित हुआ व रेफरि नम्बरा अनुसार आ.न. 1010, 1012, 1055, 1056, 1058, 1059, 1075, 1076, 1289, 1290, 671, 979, 981

कित्ता 13 रकबा 1-862 है। भूमि का सीमांकन कर दोनों भाइयों की आराजी की सीमाओं पर पत्थर कायम करवाये गए। दोनों खाते पत्थरगती से संतुष्ट है।
मौजा पर्चा बनाया जाकर पढ़कर सुनाया व

उपरोक्त हस्ताक्षर करवाये गए।

गा. ILR-चेची

(Handwritten signature)

शंभूलाल

(अप्राची शंभूलाल
S/O नन्दा चाफड)

शुनीलाल
(प्राची)

सुब्रह्मण्य

अंकरलट

शंभूलाल